2026/204

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री हरीश परमार निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 54 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.04.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 07.03.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या तीन में अंकित थाना पिण्डवाडा के कार्यालय पत्रांक 269 दिनांक 14.12.2025 व 8924 दिनांक 29.12.2025, जो श्री हरीश परमार के सम्पर्क परिवाद पर की गई सम्पूर्ण/ प्रस्तावित कार्यवाही की प्रमाणित प्रति तथा बिन्दु संख्या छः में अंकित रजिस्टर्ड पत्र जिसमें सेटलमेन्ट रिकॉर्ड में बिलानाम आवंटित भूमि पर विवाद के सम्बन्ध में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही मय आदेशिका एवं जांच प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 07.03.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या तीन में अंकित थाना पिण्डवाडा के कार्यालय पत्रांक 269 दिनांक 14.12.2025 व 8924 दिनांक 29.12.2025, जो श्री हरीश परमार के सम्पर्क परिवाद पर की गई सम्पूर्ण/ प्रस्तावित कार्यवाही की प्रमाणित प्रति तथा बिन्दु संख्या छः में अंकित रजिस्टर्ड पत्र जिसमें सेटलमेन्ट रिकॉर्ड में बिलानाम आवंटित भूमि पर विवाद के सम्बन्ध में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही मय आदेशिका एवं जांच प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित बिन्दु संख्या एक से पांच तक की सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा अपीलांट को उपलब्ध करवा दी गई है, जिसकी पावती रसीद पर भी अपीलांट द्वारा हस्ताक्षर किए हुए है। इसके अलावा बिन्दु संख्या छः से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा बिन्दु संख्या छः में चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (रोहिताश्व सिंह तोमर) **जिला कलक्टर, सिरोही**	